कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

पत्रांक 3455/सा0प्र0/6–3/2015 दिनांक 30 सितम्बर, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

विषय–उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 135 के अन्तर्गत राज्य में वाहनों के पंजीयन हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन की अनिवार्यता की गई है। इसी प्रकार केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि किसी भी वाहन के निर्माता अथवा आयातकर्ता द्वारा वाहन को विक्रय के लिए लॉच करने से पूर्व नियम 126 में विहित अभिकरणों में से किसी एक से प्रोटोटाईप प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त अभिकरण द्वारा प्रोटोटाईप प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व वाहन के मोटरयान अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप होने के सम्बन्ध में निरीक्षण कर सत्यापन किया जाता है।

2– मोटरयान अधिनियम 1988 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य मोटरयान नियमावली प्रख्यापित की गई है, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 से इतर व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य परिवहन प्राधिकरण/संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर व्यवसायिक वाहनों पर कतिपय प्रतिबन्ध (यथा–व्हील बेस, ओवरहैंग, लम्बाई–चौड़ाई, जीवीडब्ल्यू आदि) लगाए गए हैं।

3– राज्य में वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं मानकों के अनुरूप वाहनों के संचालन तथा सभी परिवहन कार्यालयों में पंजीयन की एकरूपता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के निमय 135 के उपनियम (2), (3) एवं (4) में राज्य में पंजीयन हेतु अनुमोदन प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। समय–समय पर विभिन्न मॉडल की वाहनों के पंजीयन अनुमोदन में आ रही कठिनाईयों एवं प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण की दृष्टि से पंजीयन अनुमोदन के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

(1) सम्बन्धित मॉडल (बेसिक/वेरियेन्ट) के वाहन के निर्माता अथवा आयातकर्ता अथवा उनके अधिकृत मोटरवाहन डीलर द्वारा प्रपत्र एसआर 47–क में आवेदन पत्र परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न किए जाएंगे:–

(एक) उपनियम (4) में वाहन की श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क भुगतान।

(दो) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 में विहित अभिकरण द्वारा निर्गत प्रोटोटाईप प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(तीन) राज्य में सम्बन्धित वाहन के अधिकृत डीलरों की सूची, जिसमें डीलर का नाम, पता, सम्पर्क नम्बर, ई–मेल आदि उपलब्ध हो।

(चार) राज्य में सम्बन्धित वाहन की मरम्मत हेतु अधिकृत सर्विस सेन्टर की सूची।

(पाँच) वाहन का ब्रॉशर, पार्ट्स की लिस्ट एवं एक्स–शौरूम मूल्य।

(छः) यदि टाईप एप्रूवल सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो गयी है, तो ऐसे मामलों में सी0ओ0पी0 भी संलग्न किया जाएगा।

(सात) बेसिक एवं वैरिएण्ट मॉडल में भिन्नताओं का विवरण (Comparision Chart)

(3) उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रपत्रों की जॉच करते हुए सम्बन्धित सहायक/अनुभाग प्रभारी द्वारा पत्रावली पर निरीक्षण की तिथि हेतु सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा वाहन के निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय का निर्धारण किया जाएगा। यह तिथि किसी भी दशा में 07 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(4) यदि किसी आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार प्रेषित आवेदन में कोई प्रपत्र अपूर्ण पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक/अनुभाग प्रभारी द्वारा उक्त तथ्य का उल्लेख करते हुए पत्रावली उसी दिन अथवा अगले दिन उप परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा सम्बन्धित आवेदक को कमियों के निराकरण हेतु लिखित रूप में अवगत कराया जाएगा।

(5) निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा वाहन के निरीक्षण के उपरान्त अपनी आख्या निरीक्षण के दिनांक से 03 कार्यदिवस के भीतर अंकित की जाएगी। निरीक्षण आख्या के अन्तर्गत सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989, उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 में विहित सुरक्षा मानकों, लम्बाई–चौड़ाई आदि के साथ–साथ राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के सम्बन्ध में वाहन की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(6) निरीक्षण आख्या प्राप्त होने पर सम्बन्धित सहायक/अनुभाग प्रभारी द्वारा पत्रावली पर निरीक्षण आख्या में की गई संस्तुति का उल्लेख करते हुए पत्रावली अन्तिम अनुमोदन हेतु उप परिवहन आयुक्त के माध्यम से परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(7) परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड से अनुमोदन/निर्देश के आधार पर 03 कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित वाहन के निर्माता अथवा आयातकर्ता अथवा उनके अधिकृत मोटरवाहन डीलर को अनुमोदन पत्र अथवा निर्देश, (जैसी भी स्थिति हो) निर्गत कर दिया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि किसी भी आवदेन का निस्तारण आवेदन की तिथि से 15 कार्यदिवस के भीतर पूर्ण कर लिया जाए।

(एस0रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
2– प्रभारी, टी0आर0 अनुभाग।
3– सम्बन्धित सहायक द्वारा सम्बन्धित अनुभाग प्रभारी।

(एस0रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
फोन नं0–0135 2608105 फैक्स नं0–2608108
email id-transportdeptuk@gmail.com

संख्या– /टी0आर0/सत्रह–तीन/पंजीयन–अनुमोदन/20 दिनांक

सेवा में

_____
_____
_____
_____

विषयः–नई लॉच होने वाली वाहनों का उत्तराखण्ड राज्य में पंजीयन–अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक अपने आवेदन पत्र– दिनांक जो इस कार्यालय में दिनांक को प्राप्त हुआ, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अर्न्तगत आपके द्वारा निम्न वाहन को उत्तराखण्ड राज्य में पंजीयन–अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन पत्र का निम्न चेक लिस्ट के अनुसार परीक्षण किया गया। वाहन से सम्बन्धित प्राप्त प्रपत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है।

चेक लिस्ट–

1	कम्पनी का नाम		
2	मॉडल का नाम		
3	सीटों की संख्या		
4	प्रोटोटाइप एजेन्सी		
5	सर्टिफिकेट संख्या व दिनांक		
6	सी0ओ0पी0 की आवश्यकता (यदि कम्प्लायन्स प्रमाण–पत्र 01 से अधिक पुराना है, तो छः माह में 250 यूनिट से कम उत्पादन हुआ है)	जी हॉ	नहीं
7	प्रपत्र–एसआर–47 पर आवेदन पत्र	जी हॉ	नहीं
8	वाहन की श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क	जी हॉ	नहीं
9	राज्य में सम्बन्धित वाहन के अधिकृत डीलरों की सूची (नाम व पता सहित)	जी हॉ	नहीं
10	वाहन का ब्रॉशर, पार्ट्स की लिस्ट एवं एक्स–शौरूम मूल्य	जी हॉ	नहीं

11	राज्य में सम्बन्धित वाहन की मरम्मत हेतु अधिकृत सर्विस सेन्टर की सूची।	जी हॉ	नहीं
12	Comparision Chart	जी हॉ	नहीं
13	वाहन की कैटेगिरी– एन–1	आर0एफआई0टी0 ☐	
14	वाहन की कैटेगिरी– एन–2 (स्पीड गर्वनर की आवश्यकता जिसका सकल यान भार 3.5 टन से अधिक हो)	आर0एफआई0टी0 ☐ स्पीड गर्वनर ☐	
15	वाहन की कैटेगिरी– एन–3	आर0एफआई0टी0 ☐ पावर स्टेयरिंग ☐ स्पीड गर्वनर ☐ ए0बी0एस0 ☐	
16	वाहन की कैटेगिरी– एम–1	आर0एफआई0टी0 ☐	
17	वाहन की कैटेगिरी– एम–2 (स्पीड गर्वनर की आवश्यकता जिसका सकल यान भार 3.5 टन से अधिक हो)	आर0एफआई0टी0 ☐ स्पीड गर्वनर ☐ ए0बी0एस0 ☐	
18	वाहन की कैटेगिरी– एम–3	आर0एफआई0टी0 ☐ पावर स्टेयरिंग ☐ स्पीड गर्वनर ☐ ए0बी0एस0 ☐	

निर्गमनार्थ अधिकृत–

प्रभारी,
टी0आर0 अनुभाग।